

प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 40,000.00 वर्ग मी०
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 35% 14000.00 वर्ग मी०
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 1,10,000.00 वर्ग मी०

• विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

| तल            | अनुमन्य क्षेत्रफल<br>(वर्ग मी०) | प्रस्तावित क्षेत्रफल एफ.ए.आर.<br>(वर्गमी०) |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| बेसमेन्ट      |                                 | 716.143                                    |
| भूतल          | 14000.00                        | 5927.10                                    |
| प्रथम तल      |                                 | 4805.25                                    |
| द्वितीय तल    |                                 | 4477.92                                    |
| तृतीय तल      |                                 | 4477.92                                    |
| चतुर्थ तल     |                                 | 4477.92                                    |
| पंचम तल       |                                 | 4477.92                                    |
| छठवां तल      | शेष एफ०ए०आर०                    | 4477.92                                    |
| सातवां तल     |                                 | 4477.92                                    |
| आठवां तल      |                                 | 4477.92                                    |
| नौवां तल      |                                 | 4477.92                                    |
| दसवां तल      |                                 | 4477.92                                    |
| ग्यारहवां तल  |                                 | 4477.92                                    |
| बारवां तल     |                                 | 4477.92                                    |
| तेरहवां तल    |                                 | 4477.92                                    |
| चौदहवां तल    |                                 | 4477.92                                    |
| पन्द्रहवां तल |                                 | 4477.92                                    |
| सोलहवां तल    |                                 | 3640.28                                    |
| सत्रहवां तल   |                                 | 3448.18                                    |
| अटारवां तल    |                                 | 3448.18                                    |
| उन्नीसवां तल  |                                 | 3448.18                                    |
| बीसवां तल     |                                 | 3338.78                                    |
| इक्कीसवां तल  |                                 | 3338.78                                    |
| बाइसवां तल    |                                 | 3338.78                                    |
| तैंइसवां तल   |                                 | 3338.78                                    |
| चौबीसवां तल   |                                 | 2306.95                                    |
| पच्चीसवां तल  |                                 | 2306.95                                    |
| छब्बीसवां तल  |                                 | 2306.95                                    |
| सत्ताइसवां तल |                                 | 2306.95                                    |
| अट्ठाइसवां तल |                                 | 1851.85                                    |
| कुल एफ.ए.आर.  | 1,10,000.00                     | 625.64                                     |
|               |                                 | 108706.62                                  |



|                                                                |                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| तहखाना                                                         | सेटबैक छोड़ने के पश्चात                                          |                 |
| अपर तहखाना                                                     | शेष क्षेत्रफल                                                    | 35300.98        |
| लोअर तहखाना                                                    | (पार्किंग/सर्विसेज हेतु )                                        | 35300.98        |
|                                                                |                                                                  | <u>70601.96</u> |
| सेवा क्षेत्रफल                                                 |                                                                  | 17693.23        |
| कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल<br>(तहखाना, स्टिल्ट एवं<br>सेवा सहित) | $= 108706.62 + 70601.96 + 17693.23$<br>$= 1,97,001.81$ वर्ग मीटर |                 |

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल  
प्रस्तावित एफओएओआर

= 6633.89 वर्ग मी० (16.585%)  
= 108706.62 वर्ग मी० (2.718)

Map for proposed Building is per Bye  
Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asstt.

Assist.

Architect

नाम.....  
पद.....  
राजपाल कौशिक  
मुख्य वास्तुविद नियोजक  
नौएडा

प्रतिलिपि:

1. सहा० महाप्रबन्धक (ग्रुप हा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेटरी  
स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०  
डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेन्ट,  
डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1,  
गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ०प्र०  
को सादर सूचनार्थ ।



पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/वरि०न०नि० /III- 251/...५९१

दिनांक: 16/01/12

सेवा में,

मैसर्स पैबल्स प्रोलीज (प्रा०) लि०

10/370ए, तृतीय तल, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर

दिल्ली - 110092

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 1.04.2011 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड संख्या जीएच - 1डी, सेक्टर -107, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है -

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति